

**लोक अदालत**

मूल वाद में डिक्री

( आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

प्रपत्र-

**प्रायालय उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना (झालावाड़)**

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट

पीठासीन अधिकारी :- सी दीनदयाल काकौलिया (R.A.S) उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

1. धारूपवाई 40 मांगीलाल जाति लोहा उनवान 1. मांगीलाल 26 कालु लोहा नि. काडिया मजरा स्वानपुरिया  
 नि. स्वानपुरिया टालमुठ काडिया बनाम 2. प्रमूलाल 26 कालु लोहा निवासी काडिया मजरा  
 3. गेन्दीवाई 20 कालु लोहा मजरा  
 4. कच्चीवाई 20 कालु लोहा स्वानपुरिया  
 5. कमलीवाई 20 कालु लोहा  
 6. पान्चीवाई 20 कालु लोहा

दावा बाबत ..... 53 P.T. ACT

मुकदमा नम्बर :- 74/12

निर्णय दिनांक :- 13-6-16

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से .....

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13-6-16 को ..... (नाम पीठासीन अधिकारी) के स मक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

मोय माधोपुरा तहसील मनोहरथाना के माल की खालास 19 की शक्ति की 6.19 बीघा आराजी मैसै वादनी के हिस्से की 1/3 भाग आराजी पुत्रक खाते दर्ज करने हेतु तहसीलदार मनोहरथाना शा.प्र. के नियम 18 से शि. अनुसार विभाजन पत्र तैयार कर पेश करा।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।  
 यह आज तारीख 13-6-16 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

पीठासीन अधिकारी  
 पीठासीन अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना

**वाद के खर्चे**

वादी	प्रतिवादी	
	रूपया	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामिल
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल		
जोड़		जोड़